न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/31

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा (राज) बनाम श्री नरेश पुत्र लवजी पाटीदार, मैसर्स महान दुध डेयरी, नया बस स्टेण्ड परतापुर, बांसवाड़ा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाँसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 26–04–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 15–02–2022 को 11.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **महान दुध डेयरी, नया बस स्टेण्ड परतापुर** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री नरेश पुत्र लवजी पाटीदार** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर फ्रिजर में **लगभग 12 किलोग्राम पनीर** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा करीब 12 किलो ग्राम पनीर मे से एक किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील के भगोने में खरीदा तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **एक किलोग्राम पनीर** को चार साफ खाली कॉच की शीशी में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 20–20 बूंद प्रत्येक में डालकर शीशी का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को भेजा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:19 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/90–91 दिनांक 15.03.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 211 दिनांक 07.03.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **पनीर** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड पाये गये **पनीर** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 26–04–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17.05.2022 को अभियुक्त **श्री नरेश पुत्र लवजी पाटीदार** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/90–91 दिनांक 15.03.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 211 दिनांक 07.03.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **पनीर** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया **पनीर** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया जाकर आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री नरेश पुत्र लवजी पाटीदार निवासी गया बस स्टेण्ड परतापुर, बॉसवाडा 10,000/– (अक्षरे रु दस हजार मात्र)** अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:19 IST
Reason: SelfAttested

नरेश बुनकर

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)